

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फ़रवरी, 2015

का.आ. 447(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 29 मार्च, 2007 की अधिसूचना सं. का.आ. 466(अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “भारती फाउन्डेशन, एच-5/12, कुतुब एम्बीएस, महारौली रोड, नई दिल्ली-110030” द्वारा “सत्य भारती स्कूल (50 प्राथमिक स्कूल के साथ-साथ गैर-औपचारिक शिक्षा स्थापित और सहायता देना” की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2007-08 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं0 1 पर अधिसूचित किया था, और जिसे बाद में दिनांक 22.03.2010 की अधिसूचना सं. सां. आ. 648(अ0) के तहत वित्तीय वर्ष 2010-2011 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया ; और जिसे बाद में दिनांक 17.10.2013 की अधिसूचना सं. सां. आ. 1388(अ0) (शुद्धिपत्र सं. का.आ. 3643(अ), दिनांक 11.12.2013 के साथ पठित) द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-2016 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ;

और जबकि दिनांक 21.01.2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 247(अ) द्वारा अनुमानित लागत को 10.00 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 35.00 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 30.00 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 115.00 करोड़ रुपए तक बढ़ाया गया था; और आगे दिनांक 11.10.2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 2529(अ) द्वारा परियोजना लागत को 30 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 115 करोड़ रुपए से 45 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 115 करोड़ रुपए बढ़ाया गया था और अधिसूचना सं. का.आ. 1879(अ) द्वारा परियोजना लागत को 45 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 115 करोड़ रुपए से 60 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 160 करोड़ रुपए तक और बढ़ाया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना लागत के ‘60 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 160 करोड़ रुपए’ से 110 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 360 करोड़ रुपए तक बढ़ने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम की परियोजना लागत को 60 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित ‘160 करोड़ रुपए से’ ‘110 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 360 करोड़ रुपए’ तक संशोधित करने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा दिनांक 29 मार्च, 2007 की उक्त अधिसूचना सं. का.आ. 466 (अ) को निम्नलिखित आशय के लिए और आगे संशोधित करती है, नामतः

उक्त अधिसूचना में धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुमत की जाने वाली अधिकतम राशि से संबंधित क्रम. सं. 1, कालम (4) के सामने सारणी में, “60 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 160 करोड़ रुपए” अक्षरों, अंकों और शब्दों के लिए ‘110 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 360 करोड़ रुपए’ अक्षर, अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।’

[सं. 77/2015/फा. सं. वी -27015/4/2014-एसओ (रा.स.)]

मक़बल लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)